(Motagu-Chelmsford Reform-1919)

Govt. of India Act, 1919

(Responsible Factors)

1. 1909 के अधिनियम से असंतोष (Discontent from the Act of 1909)
2. लखनऊ समझौता (Luchnow Pact)
3. कांग्रेस में एकता (Unity in the Congress)
4. क्रांतिकारी आंदोलन (Revolutionay Movement)
5. होमरूल आंदोलन (Home Rule Movement)
6. प्रथम विश्वयुद्ध का प्रभाव (Effects of the First World War)
7. मॉण्टेग्यू घोषणा एवं माण्टे-फोर्ड रिपोर्ट (Declaration of Montegue 20 Aug 1917 and Monte-Ford Report, July 1918)

Main Provisions of the Act of 1919

1. प्रस्तावना (Preamble) :-
   - I भारत अंग्रेजी साम्राज्य का अंग रहेगा
   - II धीरे-धीरे उत्तरदायी सरकार
   - III → धीरे-2 प्रशासनिक संस्थाओं का विकास / प्रशासन के प्रत्येक विभाग में धीरे-धीरे विकास
   - IV प्रांतों को प्रांतीय विषयों में अधिक स्वतन्त्रता
   - V साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व जारी रहेगा।

2. गृह सरकार में परिवर्तन (Change in the Home Government)

भारत सचिव + परिषद (15)

- वेतन इंग्लैण्ड के खजाने से
- परिषद के सदस्यों की संख्या (12 से 8)
- परिषद मात्र सलाहकार परिषद
- इंग्लैण्ड में उच्चायुक्त की नियुक्ति (High Commissioner in London)
- उच्चायुक्त का वेतन भारत के खजाने से (Viceroy's Representative)

3. केन्द्रीय कार्यकारिणी में परिवर्तन
(Change in the Central Executive):-

Total 9 (7+1+1=9)
↳ (इनमें 3 Indian)

गवर्नर-जनरल (सम्राट का प्रतिनिधि/मुख्य प्रशासक)

पूर्ण निरंकुश ←
- कार्यकारिणी के सदस्यों पर पूर्ण नियन्त्रण — उनकी
- इसकी सिफारिश पर भारत सचिव द्वारा नियुक्ति

- विधानमण्डल या उसकी परिषद का कोई नियन्त्रण नहीं
- वेतन 2,58000 रु. भत्ते 172700 रु. (वार्षिक)

(Imperial Legislative Council)

(Reconstitution of the Central Legislature)

4. केन्द्रीय विधान मंडल का पुनर्गठन

द्विसदन (Bicameral Legislature)

(Upper House) — राज्य परिषद (Council of State)

(Lower House) — विधान सभा (C. Legislative Assembly)

राज्य परिषद (Council of State)

1. रचना (Composition)

60

- 26 नामजद (19 सरकारी, 7 गैर स.)
- 34 निर्वाचित — 20 साधारण; 10 मु.; 3 यू.; 1 सिक्ख

Term = 5 years; गा. जा. के नियन्त्रण में स्थायी सदन

2. मताधिकार (Right of vote) :- 24 करोड़ जनसंख्या में से मात्र 17364
- सीमित ; विभिन्न प्रांतों में विभिन्न शर्तें

3. शक्तियाँ/कार्य (Power/Functions)
- बजट दोनों में एक साथ
- अन्य विधि विधेयक फिर राज्य परिषद में
- राज्य परिषद संशोधन/अस्वीकार कर सकती थी
- गवर्नर जन. विशेष शक्तियों के प्रयोग कर सकता
- प्र०, पू.प्र., निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव इ. का अधिकार

विधान सभा (Legislative Assembly)

1. रचना (Composition)

145

- 41 नामजद (26 स.+15)
- 104 निर्वाचित — 52 सा.; 32 मुस्लि. (30+2 सिक्ख); 20 विशेष (7 ज़. 9 यू. 4 व्यापारी)

Term - 3 वर्ष
वायसराय को अधिकार

2. मताधिकार :- राज्य परिषद से व्यापक
1920 में - 9,09,874 voter

3. पदाधिकारी :- अध्यक्ष (पहली बार गा. जन. द्वारा फिर विधान सभा द्वारा)
अंतिम स्वीकृति गा. जन. से

4. शक्तियां/कार्य :-

Powers and Functions of the Legislative Assembly

- कानून (ब्रि॰ भारत के सभी विषयों पर)
- ग॰ जन॰ की स्वीकृति से यह प्रांतों के लिए भी (भारत का संविधान नहीं; ब्रि॰ संसद के विरुद्ध नहीं)
- केवल बजट के 15% पर कटौती / या मना कर सकती थी। → बढ़ा नहीं सकती थी।
- 85% पर मात्र बहस (ब्याज; सेना; रा॰ विभाग; इसाई धर्म; भारत सचिव इ॰)

VI. कार्यकारिणी पर नियन्त्रण

(Control on the Executive Council)

- ग॰ जन॰ की निरंकुश शक्तियाँ ; बहुत सीमित नियन्त्रण
- अविश्वास प्रस्ताव से ग॰ जन॰ उसकी परिषद के सदस्य को हटाया नहीं जा सकता
- प्र॰ + पू॰ प्र॰ कर सकते थे ; जन हित में सुझाव - प्रस्ताव
- प्रस्ताव रद्द कर सकता था।

एकात्मक सरकार थी इसमें सभी विषय केन्द्र के अधीन थे।

5. केन्द्र और प्रान्तों में विषयों का बंटवारा (Division of Subjects into Centre and Provinces)

गव. जन. व उसकी परिषद

Centre's List (47) :- प्रतिरक्षा ; विदेशी मामले ; राज. सम्बन्ध ; डाक व तार ; सार्वजनिक ऋण ; संचार ; मुद्रा ; आयकर ; सीमा शुल्क

आंशिक उत्तरदायित्व

Provincial List (50) :- स्थानीय स्वशासन ; सार्वजनिक स्वास्थ्य ; शिक्षा पु. व जेल ; सहकारिता ; जलप्रदाय ; सिंचाई ; कृषि ; भूमिकर

- जो विषय दोनों सूचियों में नहीं उन पर केन्द्र का अधिकार
- (विवाद) — गव. जन. का अंतिम निर्णय

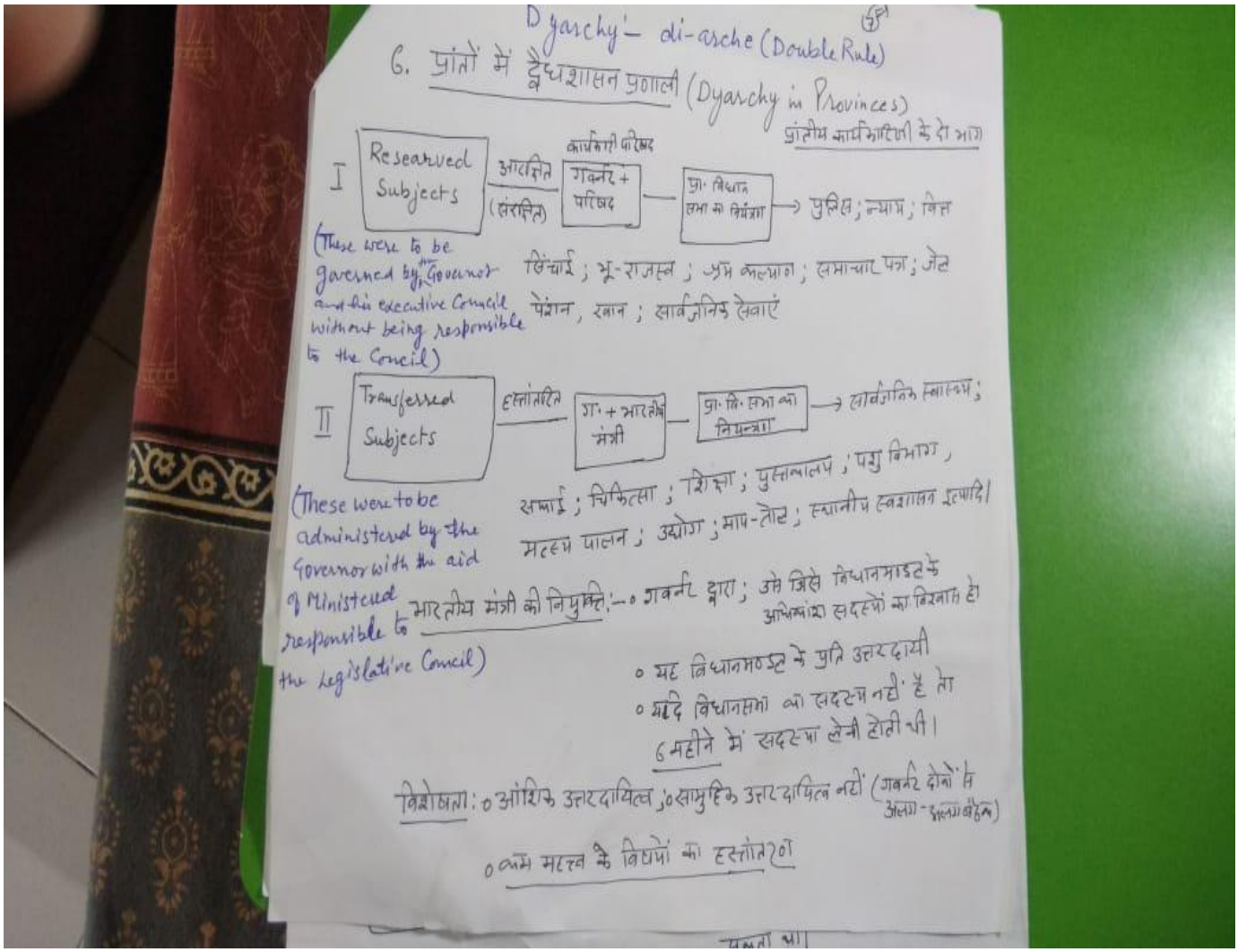

Dyarchy :- di-arche (Double Rule)

6. प्रांतों में द्वैधशासन प्रणाली (Dyarchy in Provinces)

प्रांतीय कार्यकारिणी के दो भाग

I. Researved Subjects — आरक्षित (संरक्षित) — गवर्नर + परिषद (कार्यकारी परिषद) — प्रा० विधान सभा का नियंत्रण → पुलिस; न्याय; वित्त; सिंचाई; भू-राजस्व; श्रम कल्याण; समाचार पत्र; जेल; पेंशन; खान; सार्वजनिक सेवाएं

(These were to be governed by the Governor and his executive Council without being responsible to the Council)

II. Transferred Subjects — हस्तांतरित — ग० + भारतीय मंत्री — प्रा० वि० सभा का नियन्त्रण → सार्वजनिक स्वास्थ्य; सफाई; चिकित्सा; शिक्षा; पुस्तकालय; पशु विभाग, मत्स्य पालन; उद्योग; माप-तौल; स्थानीय स्वशासन इत्यादि।

(These were to be administered by the Governor with the aid of Ministers responsible to the Legislative Council)

भारतीय मंत्री की नियुक्ति :- ◦ गवर्नर द्वारा; उन जिसे विधानमंडल के अधिकांश सदस्यों का विश्वास हो

◦ यह विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी

◦ यदि विधानसभा का सदस्य नहीं है तो 6 महीने में सदस्यता लेनी होती थी।

विशेषता : ◦ आंशिक उत्तरदायित्व; ◦ सामुहिक उत्तरदायित्व नहीं (गवर्नर दोनों से अलग-अलग बैठक)

◦ कम महत्त्व के विषयों का हस्तांतरण

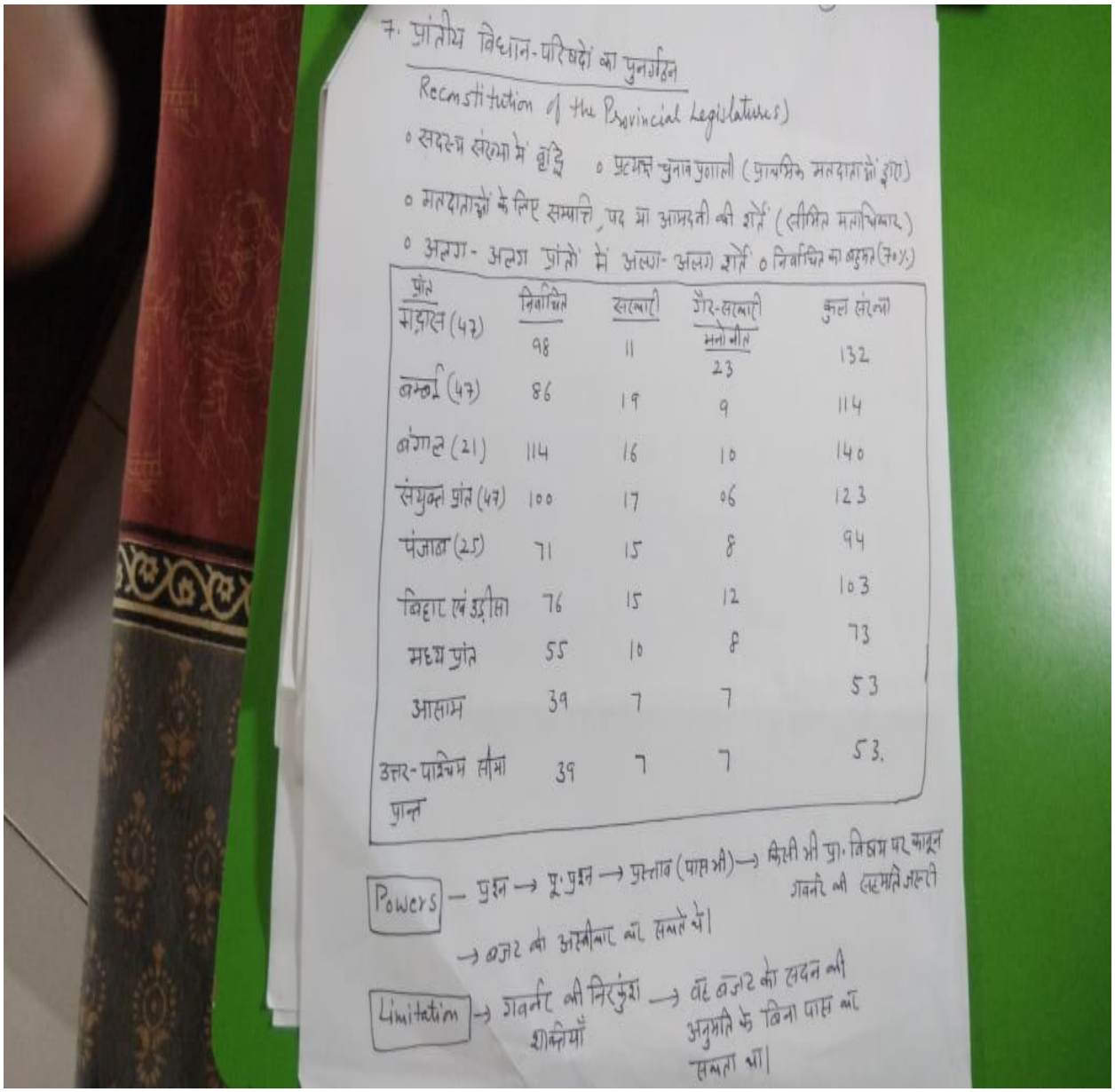

7. प्रांतीय विधान-परिषदों का पुनर्गठन

(Reconstitution of the Provincial Legislatures)

- सदस्य संख्या में वृद्धि
- प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली (प्राथमिक मतदाताओं द्वारा)
- मतदाताओं के लिए सम्पत्ति, पद या आमदनी की शर्तें (सीमित मताधिकार)
- अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग शर्तें
- निर्वाचित का बहुमत (70%)

प्रांत	निर्वाचित	सरकारी	गैर-सरकारी मनोनीत	कुल संख्या
मद्रास (47)	98	11	23	132
बम्बई (47)	86	19	9	114
बंगाल (21)	114	16	10	140
संयुक्त प्रांत (47)	100	17	06	123
पंजाब (25)	71	15	8	94
बिहार एवं उड़ीसा	76	15	12	103
मध्य प्रांत	55	10	8	73
आसाम	39	7	7	53
उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त	39	7	7	53.

Powers — प्रश्न → पू. प्रश्न → प्रस्ताव (पास भी) → किसी भी प्रा. विषय पर कानून गवर्नर की सहमति जरूरी
→ बजट को अस्वीकार कर सकते थे।

Limitation → गवर्नर की निरंकुश शक्तियाँ → वह बजट को सदन की अनुमति के बिना पास कर सकता था।

8. साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार
(Extention of Communal Representation)
मुस्लिम के साथ-साथ → सिक्खों ; बम्बई मराठों ; मद्रास में गैर-ब्राह्मणों
ईसाइयों ; एंग्लो इण्डियनों

9. नरेश मण्डल की स्थापना (Formation of Chamber of Princes)
- मॉण्टे-फोर्ड रिपोर्ट में राजाओं और ब्रि॰ भारत के अधिकारियों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए संस्था का सुझाव माना।
- जन॰ 1919 में भारतीय राजाओं का सम्मेलन (Council of Princes) की स्थापना
- अन्ततः Chamber of Princes → उद्घाटन 8 फर॰ 1921 ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा
- Composition — सलाहकार परिषद
  - 120 प्रतिनिधि
  - प्रतिवर्ष चांसलर
  - प्रतिवर्ष प्रोचांसलर
  - अध्यक्ष नरेश मण्डल

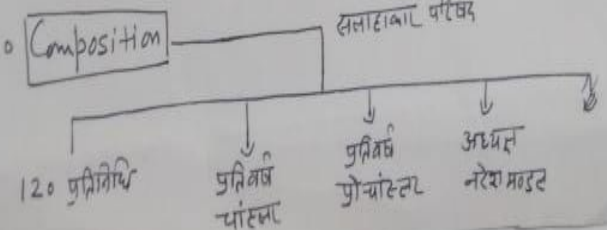

Assessment of the Act

Significance

1. भारत सचिव के अधिकारों में कमी (विशेषत: हस्तांतरित विषयों में)
2. द्विसदनात्मक प्रणाली
3. मताधिकार का विस्तार
4. प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली
5 उत्तरदायी शासन की शुरुआत

Defects

अपर्याप्त, असंतोषजनक, निराशाजनक

1. केन्द्रीय कार्यकारिणी - गवर्नर जनरल की 'जी-हुजूर' सभा (A Council of yes man)
2. शक्तिहीन केन्द्रीय विधानमण्डल Powerless Central Legislature
3. सीमित मताधिकार (Limited Franchise)
4. साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार
5. दोषपूर्ण द्वैधशासन प्रणाली
   - अतार्किक विभाजन - दोनों अंगों में सहयोग न होना
   - धन का अभाव
   - उत्तरदायित्व का अभाव
   - गवर्नर के विशेषाधिकार